दिनांक 21.02.2019

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम , भिलाई की अभिनव योजना के तहत् गरीबों के लिए बनाये गये आवासों का सर्वेक्षण कार्य कर स्थल पर ही वास्तविक निवासरत् परिवार को अस्थाई आबंटन एवं आबंटिती आधार पर रह रहे परिवार की विडियोग्राफी की जा रही है। इस योजना के प्रथम चरण में नेहरु नगर में शासन की योजना के तहत् बनाये गये बाम्बे आवास योजना के 56 आवासों में काबिज परिवार को महापौर परिषद के सदस्य नीरज पाल , आयुक्त एस0के0 सुंदरानी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने अस्थाई आबंटन एवं सहमति पत्र प्रदान किया गया।

शासन की योजना के तहत् गरीबों के लिए बनाये गये मकान में निवासरत् परिवार को नियमित करने के लिए महापौर देवेन्द्र यादव एवं आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर आवास/गुमटी आबंटन विभाग ने बाम्बे आवास , रैश्ने आवास, अटल आवास, आईएचएसडीपी आवासों में वर्तमान में काबिज परिवारों की विडियोग्राफी करवाकर उन्हे अस्थाई आबंटन एवं सहमति पत्र प्रदान किये जाने की योजना का प्रारम्भ बुधवार को नेहरु नगर बाम्बे आवास योजना फेस- 01 से किया गया। कुल निर्मित 192 आवासों में से सर्वे किये गये 56 मकानों में वर्तमान में काबिज परिवार के मुखिया को अस्थाई आबंटन एवं सहमति पत्र प्रदान किया गया।

21 फरवरी को बाम्बे आवास फेस-02 के 96 और रैश्ने आवास के 96 आवासों का सर्वेक्षण किया गया कल की तुलना में योजना विभाग के अधिकारी , कर्मचारियों द्वारा दुगुनी तादात में लक्ष्य को प्राप्त किया गया और कुल 192 आवासों में सर्वे के दौरान आबंटिती द्वारा निवासरत् 75 आवास मिलें जिनकी विडियोग्राफी करवाई गई। इसी तरह काबिजी आधार पर निवासरत् 87 निवासियों को सहमति पत्र जारी किये गये जबकि सर्वेक्षण के दौरान 30 आवास ताला बंद मिलें। अस्थाई आबंटन पत्र का वितरण महापौर परिषद के सूर्यकान्त सिन्हा एवं योजना अधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी के हाथों किया गया।

निगम क्षेत्र में शासन द्वारा बनाये गये विभिन्न योजना में कुल 3828 मकान का निर्माण किया गया है सभी मकानों का सर्वे कर भौतिक सत्यापन किया जाना है इस हेतु विडियोग्राफी कर परिवार के मुखिया का पहचान किया जाकर आॅफर लेटर प्रदान किया गया है। विभाग के प्रभारी अधिकारी मूर्ति शर्मा ने बताया कि सात दिवस के अंदर परिवार के मुखिया को निगम कार्यालय में उपस्थित होकर मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड , यदि दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक हो तो प्रमाण पत्र , बैंक पासबुक, फोटोग्राफ्स, शपथ पत्र आदि दस्तावेज के साथ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया जाना होगा।

सर्वे में विभाग के सहायक प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन , जोन 01 के प्रकाश अग्रवाल , कनिका ढ़ारगाॅवकर, उन्मेष साहू, रमेश वर्मा, सहित राजस्व एवं सम्पत्तिकर जोन 01 का अमला मौजूद था।

177